आदेश

सी०डब्लु०जे०सी० संख्या–12587/2012 श्री राम कुमार सिंह एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य तथा सी०डब्लु०जे०सी० संख्या–8301/2011 डॉ० सुरेन्द्र राय एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य मामले में मान० उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 24.02.2014 को पारित आदेश के आलोक मे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में दिनांक 25.05.2015, 25.06.2015 एवं 21.07.2015 को जांच/सुनवाई की गयी, जिसमें वादी/प्रतिवादी उपस्थिति हुए। सी०डब्लु०जे०सी० संख्या–12587/2012 एवं सी०डब्लु०जे०सी० संख्या–8301/2011 मामले में दिनांक 24.02.14 को पारित न्यायादेश की कार्यकारी कंडिका निम्नवत है:–

"In this view of the matter, the case of petitioners and others is referred to the Secretary level, as authorized by the Principal Secretary, Education Department, Govt. of Bihar. It goes without saying that before passing any order, he will given opportunity to all the parties who are going to be affected by his order and would pass a reasoned order in accordance with law."

वादीगण की ओर से निम्न रूप से अपना पक्ष रखा गया:–

प्रश्नाधीन महाविद्यालय की स्थापना वर्ष 1981 में हुई थी। वर्ष 1985 में महाविद्यालय को संबंधन प्राप्त हुआ। दिनांक 30.03.87 को पद सृजन के बाद महाविद्यालय के तदर्थ समिति द्वारा शिक्षको एवं कर्मचारियों की विधिवत रूप से नियुक्ति की गयी। 1990 में बिहार कॉलेज सेवा आयोग से 06 शिक्षको को Temporary Concrence एवं 06 शिक्षकों को Permanent Recomedation किया गया। मान० न्यायालय के आदेशानुसार महाविद्यालय में शासी निकाय का गठन 05.09.89 को प्रथम बार किया गया। वादीगण द्वारा बताया गया कि स्वीकृत पद के विरूद्ध नियुक्त/कार्यरत हैं। वर्ष 1989 से 2011 तक समय–समय पर तदर्थ समिति के सचिव द्वारा नियुक्ति को Confirm किया जाता रहा है। 04.08.2006 को शिव प्रसन्न सिंह कमिटि के प्रतिवेदन में भी कार्यरत 26 शिक्षकों का ही नाम अंकित है।

वित रहित शिक्षा नीति की समाप्ति के उपरान्त महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा शिक्षकों/कर्मचारियों की नयी सूची दी गयी, जिसमें पुराने शिक्षक/कर्मचारियों का कोई जिक्र नहीं है। दिनांक 16.03.10 के बैठक की अध्यक्षता श्री सुरेश कमार द्वारा की गयी, जो प्राचार्य के भाई है जबकि उपविकास आयुक्त को बैठक की अध्यक्षता करनी थी। दानदाता सदस्य, जनप्रतिनिधि एवं उपविकास आयुक्त को बैठक की सूचना नहीं दी गयी। विश्वविद्यालय से गठित त्रिसदस्यीय समिति की अनुशंसा के आलोक में दिनांक 14.02.10 एवं 16.03.10 की बैठक की कार्यवाही को रद्द कर दिया गया।

प्रतिवादी (डॉ० अवधेश कुमार), सूर्यनार्थ पाण्डेय एवं अन्य का कथन:–

डॉ० सूर्यनाथ पाण्डेय एवं अन्य द्वारा बताया गया कि वर्ष 2004 से महाविद्यालय मे व्याख्याता के पद पर नियुक्त एवं कार्यरत है। महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा कार्यरत कर्मियों को आंतरिक स्त्रोत की राशि से पारिश्रमिक भी दिया जाता था। पूर्व से नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक/कर्मचारी महाविद्यालय में आते ही नही थें बिहार इण्टरमीडिएट कौंसिल द्वारा समय–समय पर कॉपी मूल्यांकन करने हेतु हमलोगो को नामित भी किया गया है।

डॉ० अवधेश कुमार द्वारा बताया गया कि दिनांक 28.01.2003 को महाविद्यालय का प्रभार प्राप्त किया जिसमें पूर्व का कोई भी अभिलेख उपलब्ध नही कराया गया है। इसके कारण महाविद्यालय मे पूर्व से नियुक्त एवं कार्यरत होने संबंधी प्रमाण उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। तदर्थ समिति की बैठक दिनांक 06.12.09 में सूचित किया कि महाविद्यालय के सूचना पट पर सूचना प्रकाशित कर सभी शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मियो से नियुक्ति संबंधी अभिलेखों के साथ शपथ पत्र दाखिल किया जाय। जिन लोगो ने कागजातों के साथ शपथ पत्र दाखिल किया, उसके नाम को सरकार में भेज दिया गया। सरकार द्वारा वित रहित शिक्षा नीति की समाप्ति की गयी उसके बाद से अनेक व्यक्ति कॉलेज मे आने लगे और अनुदान राशि देने हेतु दबाब देने लगे।

श्री विमलेश कुमार से प्राप्त अभिलेख के अनुसार डी०के० मेमो० कालेज, डुमरी बक्सर में मनोविज्ञान विभाग में दिनांक 06.04.14 को प्रथम पद पर नियुक्त हुए। कॉलेज प्रबंधन द्वारा N.C.C ट्रेनिग देने के लिये एक यूनिट खोलने के लिये अनुशंसा 30 बिहार बटालियन बक्सार को किया गया।

डॉ० सुरेन्द्र राय से प्राप्त अभिलेख के अनुसार डी०के० मेमो० कॉलेज, डुमरी में वास्तविक रूप से नियुक्त एंव कार्यरत शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचारियों को ही मान्यता प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

विश्वविद्यालय से प्राप्त प्रतिवदेन के अनुसारः–

डॉ० शिवप्रसन्न सिंह, द्वारा महाविद्यालय का स्थलीय जांच किया गया। जिसके अनुसार प्रसांगिक महाविद्यालय में नियुक्त/कार्यरत कर्मियों से उनकी नियुक्ति/योगदान आदि से संबंधित अभिलेखों को प्रस्तुत करने की सूचना प्रसारित की गयी। डॉ० सिंह द्वारा प्रस्तुत सूची के अनुसार 26 शिक्षक एंव 58 शिक्षकेतर कर्मचारी नियुक्त/कार्यरत हैं। तदर्थ समिति के मा० सदस्या श्रीमती दिलमरणी देवी, जनप्रतिनिधि के अंनुरोध एवं विश्वविद्यालय द्वारा गठित त्रिसदस्यीय जांच समिति के प्रतिवेदन में की गयी अनुशंसा के आलोक मे प्रासांगिक महाविद्यालय के दिनांक 14.02.10 एवं 16.03.10 को तदर्थ समति की बैठक में लिये गये निर्णयों को विश्वविद्यालय अधिसूचना ज्ञापांक सी०/611/स्टैव/13 दिनांक 30.05.13 के द्वारा निरस्त कर दिया गया है।

निष्कर्षः–

प्रसंगाधीन मामलों से संबंधित वादी एवं प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों/दिये गये वक्तव्य की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त वस्तु स्थिति निम्न प्रकार हैः–

i. डी०के० मेमो० कॉलेज, डुमरी, बक्सर की स्थापना वर्ष 1981 में हुई।

ii. वर्ष 1985 में महाविद्यालय को संबंधन प्राप्त हुआ।

iii. वर्ष 1989 में महाविद्यालय के शासी निकाय का गठन प्रथम बार किया गया। इसके बाद महाविद्यालय में वर्ष 2011 तक समय–समय पर तदर्थ समिति का गठन किया जाता रहा है।

iv. वर्ष 1987 में महाविद्यालय में पद सृजन किया गया। महाविद्यालय के प्रबंधन समिति/तदर्थ समिति/शासी निकाय/ द्वारा समय–समय पर शिक्षकों/शिक्षकेतर कर्मचारियों की नियुक्ति की गयी। अभिलेखों के समीक्षोपरानत ऐसा प्रतीत होता है कि नियुक्ति में विधिवत प्रक्रिया– यथा–विज्ञापन, रोस्टर, वयन समिति की अनुशंसा आदि का पालन नही किया गया है। महाविद्यलाय में अधिकतर तदर्थ समिति हीं कार्य कर रही है।

v. महाविद्यालय में शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मियों की नियुक्ति में बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम–1976 की धारा 57(A) एवं विश्वविद्यालय परिनियम में वर्णित प्रावधान का

अनुपालन नही किया गया है। सिर्फ कुछ शिक्षकों की नियुक्ति में बिहार कॉलेज सेवा आयोग की अनुशंसा प्राप्त की गयी है।

vi. वर्तमान में बिहार राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम–2015 27.08.15 की तिथि से प्रभावी हो गया है, जिसका संबंध इस विषय से है।

अतः कुलसचिव, वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा को निदेश दिया जाता है कि डी०के० मेमोरियल कॉलेज, डुमरी, बक्सर में बिहार राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम–2015 में वर्णित प्रावधान का ससमय अनुपालन सुनिश्चित करायी जाय। ।

कृपया इसे आवश्यक समझा जाय।

(संजीवन सिन्हा)
प्रबंधन निदेशक,
बी०एस०ई०आई०डी०सी०,
शिक्षा विभाग, पटना

ज्ञापांकः–14 / वि०को० / लिगल / वी०के०एस०यू० / 18 / 14 – 311, पटना दिनांक 23 / 02 / 2016

प्रतिलिपिः– कुलसचिव, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा / प्राचार्य / सचिव–शासी निकाय, डी०के० मेमोरियल कॉलेज, डुमरी, बक्सर / राम कुमार सिंह, पिता–श्री दशरथ सिंह, ग्राम–छोटका लहना, पोस्ट–सिमरी, बक्सर / अवधेश कुमार राय, पिता–श्री जगत नारायण राय, ग्राम+पोस्ट–राजपुर, जिला–बक्सर / डॉ० सुरेन्द्र राय, पिता–स्व० सिधा राय, ग्राम+पोस्ट–बागड़, जिला–भोजपुर, आरा / AC to GP-05 माननीय उच्च न्यायालय, पटना एवं आई०टी० मैनेजर, शिक्षा विभाग को सुचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(संजीवन सिन्हा)
प्रबंधन निदेशक,
बी०एस०ई०आई०डी०सी०,
शिक्षा विभाग, पटना

19.2.16